



भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GO1028825

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
कोलकाता KOLKATA-700 019

सं. एचसीएल/एससीवाई/एसई/2021

दिनांक 16-11-2022

वरिष्ठ महाप्रबंधक
निगमित सेवा विभाग
बीएसई लिमिटेड
फिरोज़ जीजाबाँय टावर्स
दलाल स्ट्रीट
मुंबई 400 001
बीएसई स्क्रिप कोड : 513599

उपाध्यक्ष
लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि.
एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
एनएसई प्रतीक (सिंबल) : HINDCOPPER

महोदय / महोदया,

विषय: सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) के अनुसार 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) के अनुसार 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र सूचना और रिकार्ड के लिए प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय,

ह0/-

(सी.एस.सिंघी)

कार्यकारी निदेशक(कंपनी संचिव)

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त ।



भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GO1028825

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
कोलकाता KOLKATA-700 019

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015)

मैं, सी एस सिंघी, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का अनुपालन अधिकारी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 (पीआईटी विनियम) के विनियम 3(5) और 3(6) के प्रावधानों के अनुसार संरचित डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) की अनुपालन आवश्यकता से अवगत हूँ और मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

1. कंपनी के पास एक संरचित डिजिटल डाटाबेस है,
2. एसडीडी तक जिसकी पहुंच है, उसपर नियंत्रण मौजूद है,
3. पिछली तिमाही में प्रसारित सभी यूपीएसआई को डेटाबेस में शामिल कर लिया गया है,
4. सिस्टम ने दिनांक और समय सहित यूपीएसआई की प्रकृति अंकित (captured) कर ली गई है,
5. डेटाबेस को आंतरिक रूप से बनाए रखा गया है और एक ऑडिट ट्रेल बनाए रखा गया है,
6. डेटाबेस में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और इसमें 8 साल तक रिकॉर्ड बनाए रखने की क्षमता है। (अनुपालन न होने की स्थिति में 1 से 6 तक के प्रासंगिक बिंदुओं को काट दिया जा सकता है)

मैं, यह भी पुष्टि करता हूँ कि कंपनी को समाप्त तिमाही के दौरान एक (1) इवेंट कैप्चर करने की आवश्यकता थी और उक्त आवश्यक इवेंट में से एक (1) नंबर कैप्चर कर लिया है।

मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि पिछली तिमाही में निम्नलिखित गैर-अनुपालन देखे गए थे और इस संबंध में समय-सीमा सहित उपचारात्मक कार्रवाई की गई: लागू नहीं

धन्यवाद,

कृते: हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

ह0/-

(सी.एस.सिंघी)

कार्यकारी निदेशक(कंपनी संचिव)

दिनांक 16-11-2022

स्थान: कोलकाता